न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :- **श्री मन मोहन मीना , आर ए एस**
प्रार्थना पत्र संख्या :- **08/2022**

उनवान

1 मेघा देवी पत्नी रामपाल जाति मीणा, निवासी भाबरू, तह0 विराटनगर, जिला जयपुर राज0।
2 शांति देवी पत्नी रामचन्द्र, जाति मीणा, निवासी कांट, तह0शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

प्रार्थीगण

बनाम

1 जगदीश पुत्र मुरली
2 संदीप पुत्र मालीराम
3 सुरेश पुत्र मालीराम
4 कमली देवी पत्नी मालीराम
5 उर्मिला पुत्री मालीराम
6 पिंकी पुत्री मालीराम
7 मंजू पुत्री मालीराम
समस्त जाति बलाई निवासी देवन, तह0शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
8 नन्द किशोर पुत्र सोहन जाति बलाई, निवासी कांट, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
9 धर्मेन्द्र पुत्र सुरजा माता घीसा देवी पुत्री सोहन
10 मनभरी देवी पुत्री सोहन पत्नी सुणाराम जाति बलाई, निवासी रायपुरा जागीर, तह0 श्रीमाधोपुर, जिला सीकर, राज0।
11 नन्छी देवी पुत्री सोहन पत्नी शेरसिंह जाति बलाई निवासी किशोरपुरा, तह0 श्रीमाधोपुर, जिला सीकर राज0।
12 सना देवी पुत्री सोहन पत्नी गणपत जाति बलाई, निवासी रघुनाथपुरा, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।
13 शाखा प्रबन्धक ऑरियन्अल बैंक ऑफ कामर्स शाखा-शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
14 शाखा प्रबन्धक युको बैंक शाखा देवन, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
15 राजस्थान सरकार (भू धारक) जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

अप्रार्थीगण

16 प्रकाश चन्द पुत्र मानाराम
17 मक्खनलाल पुत्र भैरूलाल
18 मोहन लाल पुत्र मानाराम
19 राजू पुत्र भैरूलाल
समस्त जाति धानका, निवासी कांट, तह0 शाहपुरा, जिला-जयपुर, राज0।

तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा -251 क की उप धारा (1) संशोधन अधिनियम 2010

आदेश दिनांक 6/1/23

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा -251 क [की] उप धारा (1) के तहत पेश किया गया कि प्रार्थीगण अपनी जोत में पहुंचने के लिए खातेदारान अप्रार्थी [नं]0-1 लगा0 12 कमशः जगदीश पुत्र मुरली, संदीप पुत्र मालीराम, सुरेश पुत्र मालीराम, कमली देवी पत्नी [मा]लीराम, उर्मिला पुत्री मालीराम, पिंकी पुत्री मालीराम, मंजू पुत्री मालीराम, नन्द किशोर पुत्र सोहन, धर्मेन्द्र [पु]त्र सुरजा, मनभरी देवी पुत्री सोहन, नन्छी देवी पुत्री सोहन, साना देवी पुत्री सोहन के खसरा [नं]0-2531/0.63 है0 वाकै ग्राम देवन की जोत में नया मार्ग खोलने का आशय रखते हैं इसलिए प्रार्थीगण [रा]जस्थान अभिधृति अधिनियम-1955 (1955 का अधिनियम सं0-3) की धारा-251 क की उपधारा (1) के [अ]धीन अनुज्ञा के लिए आवेदन करते हैं। उक्त प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की जोत-शाहपुरा उपखण्ड के ग्राम [दे]वन की सरहद में अवस्थित है। खसरा नम्बर 2627 वाकै ग्राम-देवन, गैरमुमकिन रास्ता है तथा यह रास्ता [पू]र्व में स्थित खसरा नं0 2648 की सीमा से लगता हुआ आकर पश्चिम में खसरा नं0 2531 के दक्षिणी पूर्वी

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

तक आता है तथा खसरा नं0–2531 के लगता उत्तर में प्रार्थीगण का खसरा नं0 2532 अवस्थित है में पहूंच हेतु खसरा नं0–2531 वाकै ग्राम देवन के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है।अन्य खातेदारों जोत की विशिष्टियां जिनमें से अपेक्षित नया मार्ग खोलने का आशय रखते हैं, जगदीश पुत्र मुरली 60 वर्ष, संदीप पुत्र मालीराम उम्र–28 वर्ष, सुरेश पुत्र मालीराम उम्र–32 वर्ष, कमली देवी पुत्री मालीराम 59 वर्ष, उर्मिला पुत्री मालीराम उम्र–35 वर्ष, पिंकी पुत्री मालीराम उम्र–30 वर्ष, मंजू पुत्री मालीराम 38 वर्ष, नन्दकिशोर पुत्र सोहन उम्र–47 वर्ष, धर्मेन्द्र पुत्र सूरजा उम्र–23 वर्ष, मनभरी पुत्री सोहन 54 वर्ष, नन्छी देवी पुत्री सोहन उम्र–52 वर्ष, साना देवी पुत्री सोहन उम्र–49 वर्ष, पुरा पता आवेदन के क में है। खातेदार सोहन पुत्र मांग्या फौत हो चुका है जिसके विधिक वारिसान अप्रार्थी सं0–8 लगा0 है जिन्हें पक्षकार मुकदमा बनाया गया है तथा तरतीबी अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र पेश करते समय बाहर के कारण तरतीबी पक्षकार मुकदमा बनाया गया है जबकि इनको भी रास्ता की आवश्यकाता प्रार्थीगण समान ही है। उक्त अप्रार्थीगण की जोत ग्राम–देवन तहसील शाहपुरा जिला जयपुर मे स्थित है तथा गैर किन रास्ता खसरा नं0 2627 वाकै ग्राम देवन जो वर्तमान में सुचारू आवागमन के लिए उपयोग उपभोग आ रहा है के लगती अप्रार्थीगण की जोत खसरा नं0–2531 अवस्थित है जिसके लगता उत्तर में र्थीगण की जोत खसरा नं0–2532 अवस्थित है। खसरा नम्बर 2531 रकबा 0.6300 है0 अप्रार्थीगण की तेदारी में अवस्थित है जो गैर मुमकिन रास्ता खसरा नंबर सं0–2627 के पश्चिमी सिरा से लगता स्थित है तथा प्रार्थीयागण को अपनी जोत में जाने के लिए खसरा नं0–2627 से आगे कोई रास्ता नहीं जबकि खसरा नं0– 2627 से आगे खसरा नं0 2531 के दक्षिणी पूर्वी कोने से पूर्वी सीमा के सहारे सहारे र में खसरा नम्बर–2532 (प्रार्थीयागण) तक 4 मीटर चौडाई में प्रार्थीयागण की जोत खसरा नं0 2532 के ग्राम देवन तक जाने हेतु नये मार्ग की अति आवश्यकता है तथा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है ा प्रार्थीायागण के आवेदन पत्र के साथ नक्शा प्रस्तावित रास्ता लाल स्याही में चिह्नित किया जाकर लग्न किया है तथा उक्त नक्शा प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग व भाग है तथा प्रार्थीयागण अप्रार्थीगण को मान सरकारी दर अदा करने को तत्पर है तथा प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि को प्रस्तावित नक्शा में हल्का ना रंग से चिन्हित किया गया है।अतः प्रार्थना पत्र मयशपथ पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थीयागण का र्थन पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवेदन के साथ संलग्न नक्शा में लाल स्याही से चिन्हित प्रस्तावित ा मार्ग खोलने व राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने की आज्ञा प्रदान करे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर विधिवत दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई । ार्थी की ओर से जवाब पेश किया कि उसकी खातेदारी भूमि से मार्ग/रास्ता चाहा गया है वह गैर मकिन नाला की भूमि से लिंक होता है। प्रार्थीया की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2532 में पहूंच के लिए मुमकिन नाला से अप्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0नं0 2531 में से नया मार्ग निर्मित करना कानूनन संभव हीं है उक्त गैर मुमकिन नाला अब्दूल रहमान प्रकरण में आती है। अप्रार्थीगण जगदीश की खातेदारी भूमि 31 की भूमि गैर मुमकिन नाला की भूमि से करीब 15 फीट ऊंची भूमि है। यदि प्रार्थीया की खातेदारी मे ख0नं. 2532 में रास्ता अप्रार्थी जगदीश की खातेदारी भूमि 2531 में होकर दिया जाता है तो अप्रार्थी की ातेदारी भूमि वर्षा के दिनो में खुर्द–बुर्द होकर पानी का नाला गिरने की संभावना होगी। प्रार्थीया की भूमि नं0 2532 में चाहे गये रास्ते अप्रार्थी की खातेदारी भूमि ख.नं0 2531 से आधी भूमि व ख0नं0 2533 से धी भूमि का उपयोग किया जाना न्यायहित में आवश्यक है क्योंकि अप्रार्थी अनु0 जाति वर्ग का कम भूमि ा खातेदार है अप्रार्थी के जीविकोपार्जन के लिए भूमि कम रहती है प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र उक्त वर्णित पत्तियों के कारण खारिज किये जाने योग्य है किन्तु सुक्ष्म कारकों से न्यायालय श्रीमान प्रार्थीया को नये र्ग के आदेश पारित करते हैं तो अप्रार्थी को मार्ग की भूमि के बदले में दुगनी भूमि दिला कर खातेदारी दान करने की कृपा करें। अतः जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी जगदीश की ओर से पेश करके निवेदन है कि र्थीया का प्रार्थनापत्र न्याय हित में खारिज किये जाने की कृपा करे।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा से रिपोर्ट प्राप्त की गई । तहसीलदार शाहपुरा ने अपनी रिपोर्ट रिये पत्र कमांक/रीडर/2022/ 977 दिनांक 12.10.22 के द्वारा प्रेषित करते हुए जाहिर किया गया कि ाराजी ख0नं0 2627 गै0मु0 रास्ता से खसरा नम्बर 2531 में से होकर प्रस्तावित नया रास्ता ख0नं0 2532 पहुँचता है। जिसमें 56 मीटर लम्बाई व 04 मीटर चौडाई में कुल रकबा 0.0224 है0 अर्थात 224 वर्गमीटर मि बनती है जो सबसे कम दूरी की है।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई । वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ोर तथा तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार रास्ता दिलाने हेतु निवेदन किया । वकील प्रार्थी बार बार आवाज लगाने पर भी बहस हेतु उपस्थित नहीं हुए ।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील प्रार्थी की बहस तथा वकील अप्रार्थी के जवाब ना पत्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर पाया गया कि आराजी खसरा नम्बर 2627 जो कि गै0मु0 रिकार्ड में दर्ज है तथा खसरा नम्बर 2627 से खसरा नम्बर 2531 लगता हुआ है जो अप्रार्थीगण का था खसरा नम्बर 2531 से लगता खसरा नम्बर 2532 जो कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है में पहुंच मुताबिक तहसीलदार शाहपुरा की रिपोर्ट अनुसार रास्ता ख0नं0 2531 में से दिया जाना उचित समझते अप्रार्थी सं 14 व 15 के नाम भूमि खसरा नम्बर 2531 में से मात्र 224 वर्गमीटर भूमि कम करने से कोई व प्रभाव भी नहीं पड़ेगा तथा शेष भूमि यथावत सम्बन्धित बैंक के नाम रहन रखी रहेगी ।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा –251 क की धारा (1) संशोधन अधिनियम 2010 न्यायिक दृष्टि से स्वीकार किया जाकर ग्राम देवन तहसील शाहपुरा आराजी खसरा नम्बर 2531 रकबा 0.63 है0 में से 56 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौडा जिसका रकबा 0. 4 है0 अर्थात 224 वर्गमीटर भूमि मुताबिक तहसीलदार शाहपुरा की रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस के अनुसार गुरास्ता राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है । तहसीलदार शाहपुरा ो हेतु आई भूमि का वर्तमान मे प्रचलित डी एल सी दर से आकलन कर डीएलसी दर की दो गुना राशि र्थीगण से वसूल कर नियमानुसार खातेदार /अप्रार्थीगण को भुगतान किया जावे । तहसीलदार शाहपुरा पालनार्थ लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 6/1/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरै इजलास सुनाया गया ।

(मनमोहन मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर